चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : परीक्षा/8299
दिनांक : 25.11.2023

बी0ए0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0काम0 (व्यक्तिगत) परीक्षा–2024 पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा–2024 हेतु पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की केन्द्रीकृत व्यवस्था स्नातक स्तर पर संचालित बी0ए0 एवं बी0काम0 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) एवं परास्नातक स्तर पर संचालित एम0ए0 एवं एम0काम0 (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों के लिये लागू की गयी है।
2. स्नातक के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** पर उपलब्ध पाठ्यक्रम की नवीनतम विषय सूची (Code Book) में से ही किन्हीं तीन विषयों का चयन करना होगा। बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयन किये गये विषय ही द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में भी लेने होंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
3. बी0ए0/बी0कॉम0 प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को तीन विषयों के अतिरिक्त एक–एक फाउण्डेशन कोर्स का चयन करना होगा जिसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जायेंगे।
4. गणित विषय उसी परीक्षार्थी को लेने की अनुमति होगी जिसने इण्टरमीडिएट परीक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
5. एक साथ तीन साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। (यथा :– हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि)
6. निम्न विषययुग्म (Subject Combination) एक साथ लेने की अनुमति नहीं है –
   (अ) अर्थशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र (ब) हिन्दी तथा उर्दू
   (स) शिक्षा तथा मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र
7. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को स्नातक स्तर पर सैन्य अध्ययन (Defence Studies) विषय तथा पुस्तकालय विज्ञान (Library Science) विषय अनुमन्य नहीं है।
8. क्वालीफाईंग कोर्स के अन्तर्गत संचालित "पर्यावरण–अध्ययन" (Environmental Studies) (कोड सं0–008) केवल प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए ही अनिवार्य है परन्तु ऐसे छात्र/छात्रायें जो प्रथम वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं, इस विषय (कोड संख्या–008) की परीक्षा केवल प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा अथवा द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं।
9. क्वालीफाईंग कोर्स के अन्तर्गत संचालित "सामान्य जागरूकता" (General Awareness) (कोड सं0–010) केवल द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए ही अनिवार्य है परन्तु ऐसे छात्र/छात्रायें जो द्वितीय वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं, इस विषय (कोड संख्या–010) की परीक्षा केवल द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं।
10. विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाते हुये समस्त व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म औपबन्धिक (Provisional) रूप से भरवाये जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से पंजीयन/परीक्षा फार्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीयन/ परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षा–2024 के लिए पात्रता एवं मुख्य नियम

इन सभी नियमों की जांच परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाये तभी परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा किये जायें।

1. (i) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.12.2009 में लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी अभ्यर्थी को निवास प्रमाण–पत्र लगाने की आवश्यता नहीं होगी, परन्तु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा, उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो डी0एम0, ए0डी0एम0, एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत डोमीसाइल प्रमाण–पत्र/उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करने पर, इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिये सम्मिलित हो सकते हैं अन्यथा की स्थिति में रू0 5,500/- विशेष शुल्क देय होगा। <u>परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमीसाईल प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।</u>
   (ii) विशेष शुल्क सम्बन्धी यह प्रावधान इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले केवल नवीन छात्रों पर ही लागू होगा। ऐसे छात्र/छात्रा जो पहले से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पंजीकृत/नामांकित हैं अर्थात् यदि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन संख्या आवंटित है, उन्हें विशेष शुल्क से छूट होगी।
2. बिना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) जमा किये किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा फार्म के साथ प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र (प्राचार्य द्वारा अग्रसारित) के साथ मूलरूप में (In Original) संलग्न करना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षार्थी का मूल प्रवजन

प्रमाण–पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवजन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रवजन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।

3. परीक्षा फार्म के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रमाण–पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। रिक्त होने अथवा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य से हस्ताक्षरित होने पर परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

4. योग्यता परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप में परीक्षा फार्म के साथ लगाना आवश्यक है। अन्यथा परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। प्रतिकृति हस्ताक्षर (facsimile signature) मान्य नहीं होंगे।

5. **अन्य विश्वविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं है।**

6. **विदेशी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।**

7. **10+2 परीक्षा पद्धति अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की बी0ए0/बी0कॉम0 (त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रथम वर्ष की परीक्षा में इस विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। छात्र/छात्रा द्वारा 10+2 परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**

8. **राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण अथवा सैकेन्डरी व सीनियर सैकेन्ड्री परीक्षा 10+2 परीक्षा पद्धति से पांच विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही बी0ए0/बी0कॉम0 प्रथम भाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। 11 वर्षों में ही सीनियर सैकेन्डरी अथवा चार विषयों में इण्टर/अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।**

Note : No candidate will be considered eligible for admission to B.A./B.Com. on the basis of having passed any Diploma from the Board of Technical Education U.P. or by any other board. Any Earlier decision of the University regarding recognition of such Diplomas is hereby RESCINED.

9. 10+2+3 (10+2+2 वर्ष 1986 तक) परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन्होंने 10+1+3, 11+3 अथवा उसके समकक्ष पद्धतियों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं वे इस विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

10. वैध प्रवेश–पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को तीन वर्षीय परीक्षा तथा दो वर्षीय परीक्षा पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जायेगी जो क्रमशः तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को छः वर्ष में तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम को चार वर्ष में पूर्ण कर लेना होगा अन्यथा उसके द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा रद्द समझी जायेगी।

12. अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ संलग्न विषय/तथा उस विषय से सम्बन्धित आवेदन–पत्र में अंकित प्रश्न–पत्रों का ही चयन करना है, किसी अन्य विषय/प्रश्न–पत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. **विश्वविद्यालय ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है, जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश अथवा त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी हो जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह न हो।**

14. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल/उपाधि रद्द कर सकता है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध कार्य किया हो अथवा जिसने परीक्षा फार्म के साथ जाली प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की हों। यदि जाँच में किसी भी समय प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

15. अभ्यर्थी भली–भाँति यह सुनिश्चित् कर लें कि <u>परीक्षा फार्म आनलाईन भरने के पश्चात् विषय/प्रश्न–पत्र एवं केन्द्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</u>

16. जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से, एक वर्षीय (सिंगल सिटिंग) पाठ्यक्रम से वर्ष 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वे परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं।

17. **जिन छात्रों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तर मध्यमा एवं शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी0ए0 तथा एम0ए0 (केवल संस्कृत) की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।**

18. **जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं।**

19. बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 की परीक्षा, क्रमशः बी0कॉम0 तथा बी0एस–सी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

20. व्यक्तिगत छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रायोगिक विषय/डेजरटेशन (Dissertation) लेने की अनुमति नहीं है।

*21. अभ्यर्थी, जिसने आबिद, कामिल परीक्षा जामिया–ए–उर्दू, अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है वे इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं।

IMPORTANT : Candidate who have passed any examination from "All India Board of Secondary Education, Delhi" (अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली), "Central Board of Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली), "Central Board of High Education, East Patel Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली), "Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi" (वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद्, अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली) तथा "Gurukul Vishvidyalaya, Vrindavan" (गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन) etc. are not eligible for admission to any course of study in this University.

उक्त के अतिरिक्त प्रवेश हेतु पात्रता सम्बन्धी बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होगी।

22. परीक्षार्थी को परीक्षा फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों को संलग्न करके अपने चयनित केन्द्र/महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा, जिसकी केन्द्र/महाविद्यालय से रसीद प्राप्त कर एवं चालान फार्म की एक प्रति परीक्षार्थी को सुरक्षित रखनी चाहिए।

23. किसी भी कारण से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा परीक्षा फार्म निरस्त हो जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जायेगा।

24. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरने के लिए अर्ह है।

25. स्नातक तृतीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा में शामिल छात्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म नहीं भर सकता है।

26. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 के मद संख्या–2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म भरवाये जाने हेतु बनायी गयी समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक D.O.No. 1-15/2015(CPP-II) दिनांक अगस्त, 2015 के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक उपाधि वर्ष 1986 तक पूर्ण कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें भी व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

27. स्नातक स्तर (बी0ए0/बी0काम0) में सन्दर्भित अभ्यर्थी केवल एक कोड/ग्रुप के साथ फाउण्डेशन कोर्स के साथ एक क्वालीफाईंग कोर्स हेतु तथा परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु पाँच विषय कोड वाले एक कोड में तथा छः या छः से अधिक विषय कोड वाले दो कोडों की बैक पेपर परीक्षा हेतु ही अर्ह होंगे।

28. अभ्यर्थी जिस सत्र की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ है वह केवल उसी सत्र में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह होगा। पूर्व के वर्षों में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी भी दशा में री–बैक अनुमन्य नहीं है।

29. **उक्त के अतिरिक्त पात्रता सम्बन्धी शेष नियम संस्थागत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होंगे। सन्दर्भित नियम विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध हैं।**

30. यदि कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में निहित होगा।

विशेष नोट :–

अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही व्यक्तिगत परीक्षा–2024 हेतु परीक्षा फार्म भरें अन्यथा अर्हता पूर्ण न करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म एवं परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षाफल भी निरस्त किया जा सकता है।

25/11

परीक्षा नियंत्रक